संख्या–1316 /XVI-1/10/5(134)/05

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:1 देहरादून:दिनांक, 30 नवम्बर,2010

विषय–चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत माल्टा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पत्र संख्या–468/बा0ह0यो0/माल्टा/2010–11, दिनांक–25–11–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड के माल्टा उत्पादक क्षेत्रों/चयनित जनपदों के कृषकों/उद्यानपतियों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग,भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के संगत दिशा निर्देशों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत लगभग 150 मै0टन की सीमान्तर्गत "सी" ग्रेड माल्टा क्रय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– उपरोक्त योजना के अन्तर्गत "सी" ग्रेड माल्टा फलों का समर्थन मूल्य रू0–6.25(छः रूपये पच्चीस पैसे मात्र) प्रति किग्रा0 निर्धारित किया जाता है।

2– फलों का क्रय/विक्रय सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारी द्वारा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार फूड फैडरेशन,हल्द्वानी को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

3– क्रय किये जाने वाले "सी" ग्रेड माल्टा फल की गुणवत्ता इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि वह पुर्नविक्रय (re sell) योग्य हो अर्थात् फल गला, कटा–फटा एवं सड़ा–गला न हो।

4– उपार्जित किये जाने वाले माल्टा फलों का विपणन राज्य के भीतर तथा बाहर स्थापित प्रसंस्करण इकाईयों एवं मण्डियों में विक्रय किया जायेगा।

5– फलों के लिए 20–25 किग्रा0 क्षमता के प्लास्टिक केट लिये जाने होंगें। क्रय/विक्रय हेतु सभी ओवर हैड व्यय रू0–1300.00 प्रति मै0टन0 अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो अनुमन्य होगा।

6– फलों के उपार्जन हेतु विभाग द्वारा जनपदों में आवश्यकतानुसार क्रय/संग्रह केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

7–संग्रह केन्द्रों की संख्या व स्थान माल्टा फलों की उपलब्धता के अनुसार जिला उद्यान अधिकारी घटा–बढा सकते है।

8–यह योजना केवल फल उत्पादक कास्तकारों जिनके पास उद्यान कार्ड हो, के लिए लागू होगी, ठेकेदार व बिचौलिये इस योजना में आच्छादित नहीं होंगें। यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि केवल उद्यान कार्डधारी फल उत्पादकों से ही उपार्जन/क्रय किया जाये। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि जिन फल उत्पादकों के पास उद्यान कार्ड नही है उनके लिए तत्काल उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उद्यान कार्ड बनवायें।

क्रमशः 2

9–फल उत्पादकों को भुगतान एकाउन्ट पेई चैंक या बैंक एड्वाइस के माध्यम से किया जायेगा।

10–तुडाई उपरान्त फलों में वाष्पीकरण एवं श्वसन किया के परिणामस्वरूप बजन में कमी आती है, अतः वजन में आने वाली कमी को ध्यान में रखते हुए कय के समय तौल में 05 प्रतिशत अधिक वजन लिया जायेगा।

11–चयनित जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

12–फलों के उपार्जन की अवधि दिनांक–01 दिसम्बर,2010 से दिनांक–31 जनवरी,2011 तक होगी।

13–फलों के विक्रय से प्राप्त आय योजना के संचालित रहने तक रोटेट किया जायेगा तथा योजना संचालन के अन्त में अवशेष धनराशि उद्यान विभाग के राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

14–योजना का संचालन यथा सम्भव लाभ के आधार पर किया जायेगा परन्तु किसी भी दशा में हानि योजनान्तर्गत आवंटित बजट से अधिक नही होगी।

15–उक्त योजना के संचालन में होने वाले व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में उद्यान विभाग के आय–व्ययक अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401– फसल कृषि कर्म, 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें,01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0113– बाजार हस्तक्षेप योजना का कियान्वयन, 50–सब्सिडी मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था से किया जायेगा।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 1316 /XVI-1/10/5(134)/05,तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला उद्यान अधिकारी/फूड फैडरेशन, हल्द्वानी/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत/रूद्रप्रयाग/चमोली /पौड़ी।
2– उप निदेशक,उद्यान,गढवाल मण्डल,पौडी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
3– महालेखाकार उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5– जिलाधिकारी,अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत/रूद्रप्रयाग/चमोली,पौड़ी।
6– निदेशक(सहकारिता),कृषि एवं सहकारिता विभाग,कृषि मंत्रालय,भारत सरकार।
7– निदेशक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,सचिवालय परिसर,देहरादून।
8– प्रभारी, मीडिया सेंन्टर, सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाइल।

(विनोद फोनिया)
सचिव।